डीएफओ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, श्रीनगर गढ़वाल

उत्तराखण्ड शासन

फोन/फैक्स न0 – 01346 – 252191, ई–मेल – eepwdsrinagar@rediffmail.com, eepwdsrinagar2013@gmail.com

पत्रांक : 1072 /28सी

दिनांक 11/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
पौड़ी गढ़वाल।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 1043/X-4-15/1(449)/2015 दिनांक 03.11.2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 1479/FP/UK/Road/13166/2015 दिनांक 16.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1479/28सी0 दिनांक 15.06.2016 द्वारा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक सं0 1246/12–1 पौड़ी दिनांक 30.01.2024 द्वारा एन0पी0वी0 की दरें पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त देय धनराशि के रूप में रू0 2,31,211.00 की डिमाण्ड की गयी, जिसका भुगतान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा दिनांक 29.06.2024 को जमा करा दी गई है, अन्य शर्ते पूर्ववत निम्न प्रकार है :–

बिन्दु सं0 1– शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण कर 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु रू0 8,00,000.00 (आठ लाख) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी. है एवं अतिरिक्त एन.पी.वी. धनराशि रू0 2,31,211.00 दि0 29.06.2024 को UTR SBIN524183813399 द्वारा जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु सं0 2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 4,36,248.00 (चार लाख छत्तीस हजार दो सौ अड़तालीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

बिन्दु सं0 3– शर्त सं0 03 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 तथा अतिरिक्त एन.पी.वी. की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

बिन्दु सं0 4– शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0 5– शर्त सं0 4 व 5 के अनुपालन में अतिरिक्त एन.पी.वी. की धनराशि का भुगतान मय UTR No.SBIN524183813399 दिनांक 29.06.2024 द्वारा कर दिया गया है।

बिन्दु सं0 6– शर्त संख्या 6 के अनुपालन में जनपद कार्यवल की संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों को कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्रमशः पेज–2

बिन्दु सं0 7– शर्त सं0 7 के अनुपालन में शर्त मान्य है।

बिन्दु सं0 8– शर्त सं0 8 के अनुपालन में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0 9– शर्त सं0 9 के अनुपालन में शर्तों का पालन किया जायेगा।

अतः जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 1.328 हे0 सिविल भूमि ग्राम दुर्गाकोट, पट्टी कटूलस्यूं, तहसील श्रीनगर में वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की गयी है सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है। वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का निस्तारण कर सूचना इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विधिवत स्वीकृति हेतु उक्त सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न :– 4 प्रस्ताव।

भवदीय

05/07/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक : /28सी0 दिनांक /07/2024

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक 186/24
12-02-2024

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ।।

Phone & Fax 01368222303, E-Mail dfosspauri@yahoo.com, dfocsgarh-forest-uk@nic.in

पत्रांक :- 1246 /12–1 ,पौड़ी, दिनांक, 30, जनवरी, 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्वीरू सुमाड़ी मोटर मार्ग का धरिगांव होते हुए अगधार तक मोटर मार्ग विस्तार हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि (0.664 है0) हेतु पुनरीक्षित दरों पर एन0पी0वी0 डिमाण्ड नोट के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/13166/2015)

सन्दर्भ :- सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या– 5-3/2011-FC(VOL-I), दिनांक 06–01–2022 (प्रति संलग्न) एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या–1683 / 12–1 दिनांक 21–05–2022.

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या–2 में निर्देशित किया गया है कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति पांच वर्ष पूर्व अर्थात दिनांक 06–01–2017 को या उससे पूर्व में प्राप्त कर ली गई है, परन्तु दिनांक 06–01–2022 तक स्टेज–।। स्वीकृति प्राप्त नही की गई है, में पुनरीक्षित एन0पी0वी0 दरें लागू होंगी। उक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 03–11–2015 को जारी की गयी थी, जिसने दिनांक 06–01–2022 तक स्टेज–।। स्वीकृति प्राप्त नही की गई है।

उक्त निर्देशों के क्रम में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में प्रत्यावर्तित वन भूमि का पुनरीक्षित दरों के अनुसार एन0पी0वी0 डिमाण्ड नोट निम्न प्रकार है :–

1– ईको क्लास श्रेणी	–	V
2– हरियाली का घनत्व	–	0.30
3– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	–	रू0 1005210.00
4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	–	0.664 Ha
5– एन0पी0वी0 की कुल धनराशि	–	0.664 X 1005210 = 667459.44 या 667459.00
6– पूर्व में जमा धनराशि	–	436248.00
7– अतिरिक्त देय धनराशि	–	(667459.00 – 436248.00) = 231211.00

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

AE II / अधीन

भवदीय

(के0एन0 भारती)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौडी।

पत्रांक :– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–1833/1जी0–5066 (भा0स0दिशानिर्देश), दिनांक 21–01–2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पौड़ी को उनके पत्र संख्या–2183 / 12–1, दिनांक 25–04–2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(के0एन0 भारती)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौडी।

letter land transfer

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6113166927
MoEF/SG File No.	1(449)/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction division P.W.D Srinagar GarhwalPauri Garhwal
Amount(in Rs)	231211/-

Amount in Words :Two Lakh Thirty-One Thousand Two Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896113166927 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through (even after 7 working days, then kindly mail a copy id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurs ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBIN 524183813399

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

अधिश
निर्माण ख
श्रीन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, श्रीनगर गढ़वाल

...0 – 01346 – 252191, ई–मेल – eepwdsrinagar@rediffmail.com, eepwdsrinagar2013@gmail.com

...क : 1479 / 28सी
...या मे.

दिनांक 15/06/2016

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
पौड़ी गढ़वाल।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में बचीरू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 1043/X-4-15/1(449)/2015 दिनांक 03.11.2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 1479/FP/UK/Road/13166/2015 दिनांक 16.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में बिन्दुवार सूचना निम्नवत है।

बिन्दु सं0 1– शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोप[illegible] व[illegible]क रख–रखाव हेतु रू0 8,00,000.00 (आठ लाख) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

बिन्दु सं0 2– शर्त सं0 2 [illegible] [illegible]पालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 4,36,248.00 (चार लाख छत्तीस हजार दो सौ अड़तालीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

बिन्दु सं0 3– के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का डिमाण्ड नोट ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। सत्यापन के पश्चात देय धनराशि का भुगतान भी कर दिया गया है।

बिन्दु सं0 4– शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0 5– शर्त सं0 4 व 5 के अनुपालन में मय UTR No. दिनांक सहित संलग्न है।

बिन्दु सं0 6– शर्त सख्या 6 के अनुपालन में जनपद कार्यवल की संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों को कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0 7– शर्त सं0 7 के अनुपालन में शर्त मान्य है।

बिन्दु सं0 8– शर्त सं0 8 के अनुपालन में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0 9– शर्त सं0 7 के अनुपालन में शर्तो का पालन किया जायेगा।

क्रमशः पेज–2

बिन्दु सं0 10– मलवा निस्तारण नाप भूमि में किया जाना प्रस्तावित है।

अतः जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 1.328 है0 सिविल भूमि ग्राम दुर्गाकोट, पट्टी कटूलस्यूं, तहसील श्रीनगर मे वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की गयी है सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है। वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का निस्तारण कर सूचना इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विधिवत स्वीकृति हेतु उक्त सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न :– 4 प्रस्ताव।

भवदीय

(सुरेश कुमार तोमर)
प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक : /28सी0 दिनांक /06/2016

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता चतुर्थ, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
सिविल एवं सोयम
वन प्रभाग, पौड़ी

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः 1920/FP/UK/ROAD/18605/2016 दिनॉकःदेहरादूनः 12 दिसम्बर,2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
~~निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,~~
श्रीनगर, गढ़वाल।

1603
25/12/17

विषय–जनपद–पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराडी गाँव तक निर्माण हेतु 2.250 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक–08/UCP/06/154/2016/2016/FC/1488 दिनांक 06–12–2017. *(प्रति संलग्न)*

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु–6, उपबिन्दु–क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेंगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेगें। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि का म्यूटेशन वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के forestsclearance.nic.in पर Online अपने user account में जाकर stage II Clearance में पहले mutation की detail भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या Online इस कार्यालय को प्रेषित की जानी है। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक :–यथोपरि। N–1603/28 दि0 25/12/17

भवदीय

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

संख्या /FP/UK/ROAD/18605/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

संलग्नः–यथोपरि।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 1012 / X-4-15 / 1(449) / 2015

क्रमांक 2061/...
फाइल संख्या 2-8पी-
दिनांक 30/11/15

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 03 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2015

विषयः जनपद–पौड़ी में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगॉव होते हुए आमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–553 / 1–जी–FP/UK/ROAD/13166/2015 दिनांक 17 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–पौड़ी में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगॉव होते हुए आमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या–एफ0न0–11–09 / 98–एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं संख्या एफ0न0–11–09 / 98–एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
4. भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0– 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
(...)

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रस्तावक विभाग/एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,
Joshi
(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 1652(1)/X–4–15/1(449)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौडी वन प्रभाग।
6. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर।
7. गार्ड फाईल।

No – 2061 / 28 सी २ 80/11/18

(1) फोटोप्रति स० अभि० I लो०नि०वि० श्रीनगर

(2) फोटोप्रति श्री [illegible] आर्थिक

~~श्री [illegible] आर्थिक कृपया उक्त निर्माण पर आवश्यक कार्यवाही करें।~~

आज्ञा से,
(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

केवल E-Mail/Fax द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 2612 / 26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2015, दिनांक पौड़ी मई 27 ,2016

आदेश

उपजिलाधिकारी श्रीनगर के पत्र संख्याः 1315 / जे0ए0 / 2016 दिनांक 16.05.2016 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धारीगांव होते हुये आमधार तक मोटर मार्ग हेतु ग्राम दुर्गाकोट पट्टी कटुलस्यूँ तहसील श्रीनगर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं0 06 के खसरा सं0 138 कुल रक्बा 1.925 है0 मध्ये 1.328 है0 श्रेणी 10(4) भींटा दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कर संस्तुति की गयी हैं।

2. शासनादेश संख्याः 2173 / XVII (2) / 2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धारीगांव होते हुये आमधार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी श्रीनगर की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम दुर्गाकोट पट्टी कटुलस्यूँ तहसील श्रीनगर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं0 06 के खसरा सं0 138 कुल रक्बा 1.925 है0 मध्ये 1.328 है0,श्रेणी10(4) भींटा दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार श्रीनगर तद्नुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव,राजस्व विभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0श्रीनगर गढ़वाल।
5– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार,श्रीनगर।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी,गढ़वाल

बिन्दु सं0-02
पत्र सं0-02

मार्ग का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से घरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से घरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आंकलित कर जमा की गई है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

बिन्दु सं0-02
शर्त सं0-02

मार्ग का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आंकलित कर जमा की गई है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

बिन्दु सं0-04
मार्ग सं0 08

<u>मार्ग का नाम :-</u> जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण।

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण में सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

बिन्दु सं0–06
शर्त सं0–06

मार्ग का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यवल की संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के द्वारा दिये गये सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः 1479/FP/UK/ROAD/13166/2015 दिनॉकःदेहरादूनः 16 नवम्बर, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– जनपद–पौड़ी में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगॉव होते हुए आमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– राज्य सरकार का पत्रांक 1042/X-4-15/1(449)/2015 दिनांक 30–10–2015

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैं :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रपत्र भाग–II के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत, जिसका सरप घनत्व 0.3 है। तदनुसार भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु–8, उपबिन्दु–क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एव एन0पी0वी0 की धनराशि का डिमाण्ड नोट प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेगें।

4. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी।

5. शर्त संख्या–4 व 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
[illegible]नगर (गढ़वाल)

शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तो के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा मलवा निस्तारण यदि वन भूमि पर किया जाता है, तो मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की मांग के अनुसार वांछित धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या /FP/UK/ROAD/13166/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड, शासन।
2. जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी गढ़वाल। (संलग्न–यथोपरि।)
3. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार। (संलग्न–यथोपरि।)
4. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, देहरादून।(संलग्न–यथोपरि।)
5. मेजर ले0 कर्नल, क्वार्टर मास्टर, गढ़वाल राईफल्स रेजिमेन्ट केन्द्र, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल।(संलग्न–यथोपरि।)

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

rediffmail

Mailbox of eepwdsrinagar@rediffmail.com

Print | Cancel

From: <monitoring-fc@nic.in>

To: <eepwdsrinagar@rediffmail.com>

Subject: Email Alert of CL Payment

Date: Thu, 10 Mar 2016 17:33:17 IST

Cc: <monitoring-fc@nic.in>

Transaction Acknowledgement

Thank you. Your payment has been successfully deposited with the following details. Please quote your transaction reference number for any queries relating to this request.

Proposal No	FP/UK/ROAD/13166/2015
Application No	ROAD131662015002
Proposal Name	Construction of Motor Road up to Amdhar from Kwisu Sumari Motor Road via Dharigaon under Srinagar Constituency in District Pauri.
Category	Road
Submission Date	09 Jun 2015
Area Applied	0.664
Transaction Status	Transaction Successful
Transaction Reference Number	45019
Transaction Date	10 Mar 2016
Payment Amount(in Rs.)	1497833/-
Bank	Corporation Bank
Payment Mode	Corporation Bank (Challan)

Funds Demand Details
Compensatory Afforestation : Rs. 261585/-
Additional Compensatory

11/3

Afforestation	:	Rs. 0/-
Penal Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
Catchment Area Treatment	:	Rs. 0/-
Safety Zone	:	Rs. 0/-
Additional Charges for protected area	:	Rs. 0/-
Net Present Value	:	Rs. 436248/-
plantation on roadside/nearby place	:	Rs. 800000/-
Total Amount	:	Rs. 1497833/-

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Print Cancel